

3. नगरीय क्षेत्र :-

क) नगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर व्यवसायिक/वाणिज्यिक/कार्यालय के निर्माण की मासिक किराये की दरें।

अ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 210/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

1. कृष्णा धर्मशाला कैण्ट, से रथयात्रा चौराहा तक।
2. रथयात्रा चौराहा से, महमूरगंज पुलिस चौकी तक।
3. सिगरा चौराहे से आकाशवाणी के अन्तिम छोर तक।
4. रथयात्रा चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक।
5. सिगरा चौराहे से सिद्धगिरीबाग होते हुए नई सड़क चौराहे तक।
6. अन्धरापुल से आजाद पार्क लहुराबीर।
7. आजाद पार्क लहुराबीर से गौदौलिया गिरजाघर चौराहा तक।
8. इंग्लिशिया लाईन चौराहे से लहुराबीर आजाद पार्क तक।
9. तेलियाबाग तिराहे से साजन सिनेमा हाल तक।
10. लक्सा थाने से औरंगाबाद पुलिस चौकी तक।
11. गिरजाघर चौराहे से कोदई चौकी होते हुए नई सड़क मुख्य मार्ग के मिलन बिन्दू तक।
12. गौदौलिया तांगा स्टैण्ड से सोनारपुरा चौराहे तक।
13. आजाद पार्क लहुराबीर से कबीरचौरा से लोहटिया तिराहे तक।
14. भारत सेवा आश्रम से सोनिया रोड पानी टंकी तक।
15. जगतगंज चौराहे से रामकटोरा होते हुए पिपलानी कटरा तिराहे तक।
16. चेतक होटल कैण्ट से सुभाष नगर होते हुए मलदहिया लोहा मंडी के अन्तिम छोर तक।
17. गौदौलिया गिरजाघर चौराहा से भेलूपुर थाना तक।
18. गौदौलिया तांगा स्टैण्ड से चौक थाना तक।

आ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर स्थित व्यवसायिक निर्माण का मासिक किराया 200/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किया जाता है।

1. मैदागिन चौराहे से विशेश्वरगंज एवं जमुना टाकीज होते हुए गोलगड्डा तिराहे तक।
2. मैदागिन चौराहे से हनुमान मन्दिर से मारवाड़ी अस्पताल होते हुए गौदौलिया चौराहे तक।
3. गौदौलिया तांगा स्टैण्ड चौराहे से सोनारपुरा चौराहे तक।
4. लहुराबीर आजाद पार्क चौराहे मैदागिन चौराहे तक।
5. लहुराबीर आजाद पार्क चौराहे से बेनियाबाग होते हुए गौदौलिया चौराहा तक।
6. कबीरचौरा अस्पताल से बेनियाबाग तिराहा तक।
7. गौदौलिया के गिरजाघर चौराहे से जय नारायण इण्टर कालेज होते हुए भेलूपुर थाने तक।
8. दशाश्वमेध घाट से लक्सा थाना होते हुए रथयात्रा चौराहे तक।

9. इंग्लिायां लाईन चौराहे से मलदहिया होते हुए लहुराबीर आजाद पार्क चौराहे तक।
10. गिरिजाघर चौराहे से कोदई चौकी होते हुए नई सड़क के मुख्य मार्ग के मिलन बिन्दु तक।
11. सिगरा चौराहे से नई सड़क चौराहा तक।
12. तेलियाबाग तिराहे से साजन सिनेमा हाल तक।
13. लक्सा थाने से औरगाबाद पुलिस चौकी तक।
14. भारत सेवाश्रम से सोनियां रोड पानी टंकी तक।
15. जगतगंज चौराहे से रामकटोरा होते हुए पिपलानी कटरा तिराहे तक।
16. चेतक होटल (कैण्ट) से सुभाश नगर होते हुए मलदहिया लोहा मण्डी के अन्तिम छोर तक।

इ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 150/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

1. गोलघर चौराहे से अर्दली बाजार होते हुए शिवपुर रेलवे कासिंग तक।
2. गोलघर चौराहे से पुलिस लाईन होते हुए चौकाघाट रोड़ के मिलन बिन्दु तक।
3. पाण्डेयपुर चौराहे से तेलियाबाग होते हुए चौरा माता मन्दिर तक।
4. अर्दली बाजार तिराहे से महाबीर मन्दिर तक।
5. नदेसर चौराहे से घौसाबाद मुख्य मार्ग के मिलन बिन्दु तक।
6. नदेसर चौराहा बड़ी मस्जिद से चौकाघाट पुल तक।
7. मलदहिया चौराहे से गंगा पैलेस होते हुए पितरकुण्डा पोखरे तक।
8. काशी विश्वनाथ मन्दिर के मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ मन्दिर तक (विश्वनाथ गली)
9. दुर्गा बालिका विद्यालय जी0टी0 रोड़ से राजघाट पुल के प्रारम्भिक छोर तक।
10. कन्हैया चित्र मन्दिर से दशाश्वमेघ थाने तक।
11. कन्हैया चित्र मन्दिर के ठीक सामने की गली से केशरी रेस्टोरेन्ट से होते हुए दशाश्वमेघ मुख्य मार्ग तक।
12. घंटी मिल बैंक कालोनी से होते हुए सनबीम स्कूल लहरतारा के मुख्य मार्ग तक।
13. चेतगंज चौराहे से जियापुरा होते हुए सिगरा थाना तक।
14. पाण्डेपुर चौराहे से पहड़िया मण्डी होते हुए पहड़िया चौराहे तक।
15. पाण्डेयपुर चौराहे से महाबीर मन्दिर होते हुए शिवपुर बाईपास।
16. मिन्ट हाउस तिराहे से होटल इण्डिया होते हुए नदेसर बड़ी मस्जिद तक।
17. रथयात्रा चौराहे से (शोभनाथ धीरेन्द्र काम्प्लेक्स) से लक्ष्मी पैलेस होते हुए महमूरगंज पुलिस चौकी तक।
18. संत रविदास स्मृति द्वार (लंका) से दयाल टावर शाकम्बरी काम्प्लेक्स विजया टाकीज होते हुए भेलूपुर थाने तक।
19. भेलूपुर थाना चौराहे से एल0आई0सी0 आफिस होते हुए सोनारपुरा तिराहा तक।

20. भेलूपुर थाना चौराहे से विजया नगरम काम्प्लेक्स काशीराज अपार्टमेन्ट होते हुए रथयात्रा चौराहा (शोभनाथ धीरेन्द्र काम्प्लेक्स) तक ।
21. दुर्गा बालिका विद्यालय, लहरतारा जी0टी0 रोड से राजघाट पुल के प्रारम्भिक छोर तक ।
22. बी0एच0यू0 मुख्य गेट से संत रविदास द्वार तक ।
23. कचहरी गोलघर चौराहे से अंधरापुल तक ।
24. कृष्णा धर्मशाला (कैण्ट) से रथयात्रा चौराहे तक ।
25. अंधरापुल चौराहे से लहुराबीर आजाद पार्क चौराहे तक ।
26. भोजूबीर तिराहे से अर्दली बाजार होते हुए चौकाघाट तिराहे तक ।
27. नदेसर चौराहे से घौसाबाद मुख्यमार्ग के मिलन बिन्दु तक ।
28. नदेसर चौराहा बड़ी मस्जिद से चौकाघाट पुल तक ।
29. मलदहिया चौराहे से गंगा पैलेस होते हुए पितरकुण्डा पोखरा तक ।
30. गोदौलिया दशाश्वमेध रोड पर स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर के मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ मन्दिर तक (विश्वनाथ गली) ।
31. लोहटिया तिराहे से लक्ष्मण भण्डार होते हुए राधा चित्र मन्दिर तक ।
32. पाण्डेयपुर चौराहे से राय साहब का बाग हेते हुए किसान सब्जी विक्रेता कल्याण समिति के कार्यालय एवं इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक (आजमगढ़ मार्ग)
33. चौकाघाट से अलईपुरा (सिटी स्टेशन) होते हुए भदऊँ तिराहे तक (मुगलसराय-चन्दौली मार्ग) ।
34. पाण्डेयपुर चौराहे से पहड़िया मण्डी होते हुए पहड़िया चौराहे तक (गाजीपुर मार्ग)

इ) : निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 135/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

- 1.मिन्ट हाउस तिराहे से पी0सी0एफ0 प्लाजा होते हुए मुख्य डाकघर तक ।
- 2.भोजूबीर तिराहे से यू0पी0कालेज गेट तक ।
- 3.भोजूबीर मछरहट्टा मन्दिर के पास से शिवमन्दिर चौराहा व सब्जी मण्डी व नवलपुर पानी टंकी होते हुए नटीनीया दाई मन्दिर तक (सिन्धोरा मार्ग तक) ।
- 4.सर्किट हाउस से भोजूबीर तिराहे तक ।
- 5.वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर संत अतुलानन्द स्कूल से शिवपुर बाजार व शिवपुर रेलवे कासिंग होते हुए जौनपुर-वाराणसी बाईपास मार्ग के मिलन बिन्दु तक ।
- 6.मछरहट्टा मन्दिर के पास से शिवमन्दिर चौराहा व सब्जी व नवलपुर पानी टंकी होते हुए नटिनियादाई मन्दिर तक (सिन्धोरा मार्ग)
- 7.पाण्डेयपुर चौराहा से महावीर मन्दिर होते हुए बाई पास पुलिस चौकी तक ।
- 8.पहड़िया चौराहे से आर.टी.ओ. ऑफिस होते हुए आशापुर चौराहे तक (गाजीपुर मार्ग) तक ।
- 9.आशापुर चौराहा से चन्द्रा चौराहा एवं पुरानापुल होते हुए कज्जाकपुरा रेलवे क्रॉसिंग तक ।

10. मछोदरी पार्क से मुकीमगंज एवं प्रहलाद घाट होते हुए काशी स्टेशन तक ।
11. डी.ए.वी० कॉलेज गेट से डिगिया एवं जैतपुरा थाना होते हुए ख्वाजापुरा कब्रिस्तान तक ।
12. वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर संत अतुलानन्द स्कूल से शिवपुर बाजार व शिवपुर रेलवे क्रासिंग होते हुए जौनपुर-वाराणसी बाईपास मार्ग के मिलन बिन्दु तक ।
13. पाण्डेयपुर चौराहे से चौकाघाट डाटपुल होते हुए तेलियाबाग चौरा माता मन्दिर तक ।
14. कचहरी गोलघर चौराहे से खजुरी तिराहे तक ।
15. कचहरी गोलघर चौराहे से वाया अर्दली बाजार तिराहा होते हुए महावीर मन्दिर तक ।
16. पाण्डेयपुर चौराहे से महावीर मन्दिर होते हुए शिवपुर बाईपास पुलिस चौकी तक ।
17. आनन्द वाटिका (सर्किट हाउस) से भोजूबीर तिराहे होते हुए संत अतुलानन्द तिराहे तक ।
18. नदेसर चौराहे (बड़ी मस्जिद) से इण्डिया होटल के प्रारम्भिक छोर तक एवं इण्डिया होटल होते हुए मिण्ट हाउस मुख्य मार्ग एवं ताज होटल के पि चमी गेट तक ।
19. भिखारीपुर तिराहे से मण्डुआडीह स्टेशन मार्ग पर रेलवे सुरक्षाबल बैरक की बाउण्ड्री तक ।
20. लंका बी०एच०यू० गेट से सुन्दरपुर होते हुए भिखारीपुर तिराहा तक ।
21. भिखारीपुर तिराहे से चुनार राजमार्ग पर चितईपुर चौराहे तक ।
22. बी०एच०यू० गेट से सामने घाट पर हनुमान मन्दिर होते हुए ज्योति प्रिन्टर्स दुकान तक ।
23. सामने घाट रोड से गढ़वा रोड पर हनुमान मन्दिर मोड़ से शिवगंगा कालोनी के रास्ते के मोड़ तक ।
24. वाराणसी जौनपुर बाई पास गौतम एनर्जी प्वाइंट (पेट्रोल पम्प) से संत जोसेफ कान्वेन्ट स्कूल के आगे भावना प्राविजन्स एण्ड जनरल स्टोर की दुकान तक अर्थात ओवर ब्रिज के प्रारम्भ तक ।
25. कन्हैया चित्र मन्दिर से दशाश्वमेध थाना तक ।
26. कन्हैया चित्र मन्दिर के ठीक सामने की गली से केशरी रेस्टोरेन्ट होते हुए मुख्य मार्ग (गोदौलिया से द आ वमेध) तक ।
27. घंटी मिल से बैंक कालोनी से होते हुए सनबीम स्कूल, लहरतारा से प्रारम्भिक छोर तक ।
28. चेतगंज चौराहे से जियापुरा होते हुए सिगरा थाना तक ।
29. भोजूबीर तिराहे से यू० पी० कालेज गेट तक ।
30. मछरहट्टा मन्दिर के पास से शिवमन्दिर चौराहा व सब्जी मण्डी व नवलपुर पानी टंकी होते हुए नटिनिया दाई मन्दिर तक (सिंधोरा मार्ग)
31. सोनारपुरा चौराहा से संत रविदास स्मृति द्वार तक ।
32. मैदागिन चौराहा से हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज होते हुए डी०ए०वी० कालेज मृत्युंजय महादेव मोड़ तक ।
33. लहरतारा तिराहे से (पुलिस बूथ) से विशाल आटो एजेन्सी होते हुए मडुवाडीह चौराहे तक ।
34. सुन्दरपुर चौराहा से खोजवां दशमी होते हुए कुसुम टाकीज होते हुए शंकुलधारा पोखरा तक ।
35. चाँदपुर चौराहा (जी०टी० रोड)-सरकारीपुरा मडुवाडीह थाना होते हुए रेलवे क्रासिंग मडुवाडीह ।

36. नई सड़क चौराहा से हड़हा होते हुए दालमण्डी रोड (चौक थाने तक)।
37. लोहटिया तिराहे से औसानगंज होते हुए जैतपुरा तक।
38. चाँदपुर चौराहा से लोहता भदोही मार्ग भट्ठी सेन्ट मैरिज हास्पिटल तक।
39. चुनार रोड चितईपुर चौराहे से कन्दवा होते हुए अमराखैरा चक बाई बास चौराहा तक।
40. काश्मीरीगंज तिराहे से खोजवां बाजार-गांधी चौक तक।
41. सुन्दरपुर तिराहे से सरायनन्दन-नबाबगंज होते हुए दयाल टावर दुर्गाकुण्ड तक।
42. चौक थाना से कचौड़ी गली होते हुए सरस्वती फाटक तक।
43. ठठेरी बाजार से चौखम्भा होते हुए रंगील दास फाटक तक।
44. विशेश्वरगंज चौराहे से काल भैरव मंदिर तिराहे तक।
45. लोहटिया चौराहे से काशीपुरा गोविन्दपुरा होते हुए राजादरवाजा तिराहे तक।
46. काल भैरव तिराहे से गायघाट होते हुए काशी स्टेशन तक।
47. पाण्डेयपुर चौराहा से पंचकोशी रोड होते हुये लक्ष्मी जी मंदिर पंचकोशी चौराहा तक।

ई) 1. मॉल/बिग बाजार/कॉम्पलेक्स में दुकानों की मासिक दरें 400/- प्रति वर्गमीटर होगी।

उ) : उक्त सड़क/मार्ग के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र में स्थित अन्य सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 110/- रु० प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है।

ख) : नगरीय क्षेत्र में स्थित आवासीय/व्यवसायिक भूमि की मूल्यांकन दरे रु० प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	चेतगंज (अ)	1. अन्नपूर्णा नगर कालोनी, 2. कमला नगर, 3. कबीर चौरा, 4. गुलाब बाग, 5. बागबरियार सिंह, 6. बादशाह बाग, 7. रमाकांत नगर, 8. रामकटोरा, 9. शास्त्री नगर, 10. लाजपत नगर, 11. जगतगंज, 12. मलदहिया, 13. तेलियाबाग, 14. इंग्लिशिया, 15. हबीबपुरा।	12000/-	7300/-	8800/-	4000/-

	चेतगंज (ब)	1. काजीपुर कलां व खुर्द, 2. कैलगढ़ कॉलोनी, 3. चेतगंज, 4. चन्दुआ, 5. पिशाचमोचन, 6. फाटक शेख सलीम, 7. लल्लापुरा, 8. लहुराबीर, 9. सरायगोवर्धन, 10. सेनपुरा, 11. छित्तूपुरा।	11000 / -	6800 / -	8200 / -	3800 / -
	चेतगंज (स)	1. काली महाल, 2. जियापुरा, 3. पितरकुण्डा, 4. बाग कन्हैया लाल, 5. माताकुण्ड, 6. लहंगपुरा	8400 / -	5200 / -	6800 / -	3000 / -
	चेतगंज (द)	अन्य सभी मोहल्ले	7000 / -	5000 / -	6000 / -	2800 / -
2.	सिकरौल (अ)	1. अर्दली बाजार, 2. डी.आई.जी. कॉलोनी, 3. पटेल नगर, 4. विन्ध्यवासिनी नगर, 5. सुभाष नगर	12000 / -	7300 / -	8800 / -	4000 / -
	सिकरौल (ब)	1. अन्धरापुल, 2. आराजी लाईन, 3. गिलट बाजार, 4. इंग्लिशिया लाईन, 5. चुप्पेपुर, 6. घौसाबाद, 7. टैगोर टारुन, 8. चौकाघाट, 9. डिठोरी महाल, 10. तेलियाबाग, 11. ताजपुर, 12. नदेसर, 13. पहाड़पुर, 14. बड़ागांव दोयम, 15. पाण्डेयपुर, 16. बुद्ध विहार कॉलोनी, 17. प्रशान्तपुरी कॉलोनी, 18. भुवनेश्वर नगर, 19. जदीद बाजार, 20. वरुणापुल, 21. भोजबीर, 22. राजाबाजार, 23. सरसौली, 24. हुकुलगंज।	11000 / -	6800 / -	8200 / -	3600 / -
	सिकरौल (स)	1. अनौला, 2. खजुरी, 3. चौका, 4. टकटकपुर, 5. ढेलवरिया, 6. नईबस्ती, 7. नवलपुर (पूर्वी), 8. पियरिया पोखरी, 9. मीरापुर बसही, 10. लच्छीपुरा, 11. शिवपुर उत्तरी व दक्षिणी, 12. सिकरौल।	8400 / -	5200 / -	6800 / -	2800 / -
	सिकरौल (द)	अन्य सभी मोहल्ले	7000 / -	5000 / -	6000 / -	2700 / -
क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
3.	दशाश्वमेध (अ)	1. चन्द्रिका नगर कॉलोनी, 2. कस्तूरबा नगर, 3. मदनपुरा, 4. महमूरगंज, 5. गांधी नगर सिगरा, 6. शास्त्री नगर कॉलोनी सिगरा, 7. संत रघुवर नगर, 8. नया पानदरीबा, 9. कोदई चौकी, 10. औरंगाबाद, 11. जंगमबाड़ी, 12. कब्र आशिक माशूक, 13. पार्वती नगर, 14. तुलसीपुर, 15. नरायन नगर लक्सा, 16. पार्वतीपुरी, 17. रामापुरा, 18. माधोपुर, 19. शिवपुरवा, 20. लक्सा, 21. शिवाजी नगर, 22. सिगरा, 23. संपूर्णानन्द नगर कॉलोनी, 24. दशाश्वमेध, 25. हौजकटोरा, 26. सिद्धगिरिबाग।	14500 / -	8500 / -	9500 / -	6000 / -
	दशाश्वमेध (ब)	1. कोतवालपुरा, 2. बंगाली टोला, 3. जददूमण्डी, 4. बाजार सदानन्द, 5. पाण्डेय हवेली, 6. मिसिर पोखरा, 7. बड़ादेव।	13500 / -	7500 / -	9000 / -	5000 / -

	दशाश्वमेध (स)	1. अगस्त कुण्डा, 2. केशवपुरा, 3. काजीपुरा कलां व खुर्द, 4. खालिसपुरा, 5. गणेश महाल, 6. जगजीवनपुरा, 7. टेढ़ीनीम, 8. नईबस्ती, 9. पुराना पानदरीबा, 10. बागरानी भवानी, 11. मीरबाग, 12. मनिहारी टोला, 13. राणामहाल, 14. लक्ष्मीकुण्ड, 15. साक्षी विनायक, 16. सूरजकुण्ड, 17. त्रिपुरा भैरवी।	11000 / -	6000 / -	7500 / -	4200 / -
	दशाश्वमेध (द)	अन्य सभी मोहल्ले	8800 / -	5500 / -	7000 / -	4000 / -
4.	शिवपुर (अ)	1. कादीपुर, 2. शिवपुर, 3. सुद्धीपुर, 4. भरलाई, 5. नवलपुर, 6. लक्ष्मनपुर, 7. कठवतियाँ, 8. महेशपुर, 9. इन्द्रपुर, 10. नरायनपुर।	8500 / -	5000 / -	6500 / -	3000 / -
	शिवपुर (ब)	1. बसही, 2. परमानन्दपुर, 3. भगतपुर, 4. छतरीपुर, 5. हटिया, 6. तरना, 7. गनेशपुर, 8. लशकर, 9. रामकृष्ण चन्द्र नगर व अन्य सभी मोहल्ले	6500 / -	4800 / -	5800 / -	2700 / -
5.	नगवा (अ)	1. सुन्दरपुर, 2. चितईपुर, 3. नेवादा, 4. करौंदी, 5. नगवां, 6. सरायनन्दन, 7. सराय सुरजन, 8. पटिया, 9. बजरडीहा, 10. रानीपुर, 11. ककरमत्ता, 12. जोल्हा	7500 / -	4800 / -	5700 / -	2900 / -
	नगवा (ब)	अन्य सभी मोहल्ले	6200 / -	4500 / -	5300 / -	2700 / -

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
6.	चौक (अ)	1. कचौड़ी गली, 2. ठठेरी बाजार, 3. ज्ञानवापी, 4. नन्दन साहू लेन, 5. राजा दरवाजा, 6. रे म कटरा, 7. सराय हड़हा, 8. हड़हा, 9. सुड़िया 10. का पीपुरा पूर्वी, 11. का पीपुरा पश्चिमी, 12. कर्णघण्टा, 13. बेनियां, 14. छोटी पियरी, 15. बड़ी पियरी, 16. पियरी कलां	13000 / -	8000 / -	9000 / -	5000 / -
	चौक (ब)	1. आसभैरो, 2. मच्छरहट्टा, 3. रेशम कटरा, 4. गोला गली, 5. घुघरानी गली, 6. छत्ता तले, 7. नन्दन साहू लेन, 8. गली सेवत राय सत्यव्रत, 9. गोविन्दपुरा, 10. गढ़वासी टोला, 11. भूलेटन, 12. रानीकुआं, 13. भोख सलीम, 14. हीरापुरा, 15. हौज कटोरा, 16. नीचीबाग।	12000 / -	6200 / -	7500 / -	4200 / -
	चौक (स)	अन्य सभी मुहल्ले	9500 / -	5500 / -	7000 / -	4000 / -

7.	कोतवाली (अ)	1. गोला दीनानाथ भीतरी, 2. गोला दीनानाथ बाहरी, 3. वि े वरगंज, 4. बुलानाला, 5. मैदागिन, 6. सप्तसागर, 7. हरतीरथ, 8. राजमन्दिर (बूदी महाल), 9. कालभैरव, 10. दारानगर, 11. मछोदरी, 12. अम्बिया मण्डी।	13000 / -	8000 / -	9000 / -	5000 / -
	कोतवाली (ब)	1. कतुआपुरा, 2. कुतुबन भाहीद, 3. गली ग्वालदास साह, 4. गायघाट, 5. घासी टोला, 6. दूधविनायक, 7. नरहरपुरा, 8. मछोदरी, 9. मध्यमे वर, 10. दारानगर,, 11. दुल्ली गड़ही, 12. भूत भैरव नखास, 13. भैरो बाजार, 14. भूतही ईमली, 15. अवसानगंज, 16. नवापुरा, 17. ईश्वरगंगी, 18. नरायन दीक्षित लेन।	13000 / -	6200 / -	7500 / -	4200 / -
	कोतवाली (स)	अन्य सभी मुहल्ले	9500 / -	5500 / -	7000 / -	4000 / -

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
8.	भेलूपुर (अ)	1. अस्सी, 2. कमच्छा 3. तुलसीपुर,, 4. जवाहर नगर (हनुमानपुरा), 5. बिरदोपुर, 6. गौरीगंज, 7. दुर्गाकुण्ड, 8. भेलूपुर, 9. भदौनी, 10. लंका, 11. सोनारपुरा, 12. िवाला, 13. रविन्द्रपुरी कालोनी 14. नरियां,	11000 / -	7500 / -	8500 / -	3800 / -
	भेलूपुर (ब)	1. अवधगर्बी, 2. नईबाजार, 3. नबाबगंज, 4. पिताम्बरपुरा, 5. क्रीमकुण्ड, 6. बाड़ा गम्भीर सिंह, 7. तिलभाण्डेश्वर, 8. विनायका, 9. आहाता रूहेला, 10. पाण्डेय हवेली 11. संकटमोचन, 12. का मीरीगंज, 13. खोजवां, 14. डुमराव बाग कालोनी, 15. नगवां, 16. रेवड़ी तालाब, 17. सुन्दरपुर, 18. सराय नन्दन।	9000 / -	5500 / -	7000 / -	3200 / -
	भेलूपुर (स)	अन्य सभी मुहल्ले	7500 / -	5000 / -	6200 / -	2600 / -

9.	आदमपुर (अ)	1. आदमपुर, 2. ओकालेश्वर, 3. कामेश्वर महादेव, 4. कोयला बाजार, 5. छित्तनपुरा, 6. तेलियाना, 7. तेलियाना मखदूमपुर, 8. तेलियाना गोलगड्डा, 9. तेलियानाला, 10. त्रिलोचन बाजार, 11. नवापुरा, 12. प्रहलाद घाट, 13. पठानी टोला, 14. भदऊ, 15. मुकीमगंज, 16. राजघाट, 17. सलेमपुरा, 18. हनुमान फाटक, 19. हनुमानगंज	8000 / -	5500 / -	6000 / -	3200 / -
	आदमपुर (ब)	1. अमरपुर, 2. कोनिया, 3. कज्जाकपुरा	7700 / -	5200 / -	5800 / -	3000 / -

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
	आदमपुर (स)	1. कायस्थ टोला, 2. चौहट्टा लाल खां, 3. जुगुल टोला, 4. जलालीपुरा, 5. दीवानगंज, 6. नया महादेव, 7. पाटन दरवाजा, 8. फाटक काजी अली, 9. भारद्वाजी टोला, 10. मखदूमपुर, 11. राजघाट बाजार, 12. सरैया, 13. सराय हेड,	7000 / -	5000 / -	5600 / -	2800 / -
	आदमपुर (द)	1. अंसाराबाद, 2. आलमपुरा, 3. घसियारी टोला, 4. चन्दूपुरा, 5. जेरगुलर, 6. नचनीकुआं, 7. नवापुरा, 8. पलंग शहीद, 9. बलुआबीर, 10. भगतपुरी, 11. राजघाट मिल, 12. सदर महाल, 13. सिरखी नन्दू फरिया, 14. सुरगा गढ़ही, 15. हसनपुरा, अन्य सभी मोहल्ले	6800 / -	4500 / -	5400 / -	2500 / -
10.	जैतपुरा (अ)	1. अलईपुर, 2. अलईपुर (नक्खीघाट), 3. ईश्वरगंगी (नईबस्ती), 4. उस्मानपुरा, 5. कमनगढ़हा, 6. कटेहर, 7. काजीसादुल्लापुरा, 8. कमालपुरा, 9. चौकाघाट (कॉटन मिल), 10. छोहरा, 11. जैतपुरा, 12. डिगिया, 13. दोषीपुरा, 14. धूपचण्डी (नाटी इमली), 15. बाकराबाद, 16. शेषमन बाजार, 17. हैंसतले	8000 / -	5500 / -	6000 / -	3200 / -

जैतपुरा (ब)	1. उधोपुरा, 2. आगागंज, 3. अलईपुर उत्तरी, 4. कच्चीबाग, 5. ख्वाजापुरा, 6. गोपालगंज, 7. गोपालबाग, 8. बन्धु कच्चीबाग, 9. रसूलपुरा, 10. सलारपुरा	6000 / -	5000 / -	5600 / -	2800 / -
जैतपुरा (स)	1. अमानुल्लापुरा (मानुल्लापुरा) 2. ओरीपुरा, 3. खेत बसनियां, 4. जमालुदीनपुरा, 5. जलालुद्दीनपुरा, 6. जैनपुरा, 7. नवापुरा, 8. बसनियां, 9. बकरिया कुण्ड,, 10. लद्धनपुरा, 11. शक्कर तालाब, 12. हुसैनपुरा व अन्य सभी मोहल्ले	6000 / -	4800 / -	5500 / -	2500 / -

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर			
			पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
11.	सारनाथ (अ)	1. अकथा, 2. अनौली, 3. खजुरी, 4. गंज, 5. घुरहूपुर, 6. चकबीही, 7. दौलतपुरा, 8. पाण्डेयपुर, 9. पहड़िया, 10. परशुरामपुर, 11. मवइया, 12. लालपुर अनौला, 13. हाल (नक्खीघाट)	7000 / -	5500 / -	5700 / -	3200 / -
	सारनाथ (ब)	1. आशापुर, 2. खजुही, 3. बरईपुर, 4. रमदत्तपुर, 5. सिंहपुर	6800 / -	5400 / -	5500 / -	3000 / -
	सारनाथ (स)	1. दानियालपुर, 2. नवापुरा, 3. पुलकोहना, 4. रमरेपुर, 5. रूपनपुर उर्फ पैगम्बरपुर,	6300 / -	5000 / -	5300 / -	2800 / -
	सारनाथ (द)	1. बेनीपुर, मुगदलपुर व अन्य सभी मोहल्ले	6000 / -	4500 / -	5200 / -	2500 / -

2. नगर निगम सीमा अन्तर्गत स्थित कृषि भूमि (सप्रमाण) की दरे प्रति 0.001 हे० निम्न प्रकार होगी परन्तु यदि भूमि आवासीय/व्यवसायिक है तो अवासीय/व्यवसायिक दर देय होगी। 0.08 हे० से कम भूमि का मूल्यांकन उक्त सूची के सुसंगत कॉलम के अनुसार आगणित कर देय होगा।

क) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक सड़क के किनारे रू० 20,000 / -

ख) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक अन्य स्थान पर रू० 15,000 / -

ग) 0.10 हे० से अधिक कृषि भूमि होने की दशा में प्रथम 0.10 हे० तक मूल्यांकन उपरोक्तानुसार तथा अवशेष रकबे पर रू० 11,500 / - प्रति 0.001 (1 एअर) की दर से देय होगा।

3. अर्द्ध नगरीय क्षेत्र :-

- क) 1. नगर निगम सीमा से बाहर राजस्व ग्रामों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है की प्रति वर्गमीटर निम्नवत् दरें निर्धारित की जाती है :

क्र० सं०	परगना	ग्राम/मुहल्ला	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	टावासीय
1.	शिवपुर (अ)	1.आशापुर 2. बरईपुर 3. रमदत्तपुर, 4. खजुही, 5. सिंहपुर	4700	3400	4200	2800
	(ब)	1. गनेशपुर 2. छतरीपुर 3. परमानन्दपुर, 4. तरना	4700	3400	4200	2300
	(स)	1. लालपुर मीरापुर बसही 2. लेढूपुर 3. होलापुर 4. दानूपुर 5. लमही, 6. सोयेपुर 7. अनौली 8. भवानीपुर	4500	3200	4000	2200

नोट— उक्त अ और ब के मौजे की दरें वार्ड बाहर प्रमाण पत्र के आधार पर ही लागू होगी।

- क) 2. नगर निगम सीमा से बाहर उक्त अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं प्रमुख बाजार के राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की दर प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगी :

क—	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु० 32400 /—
ख—	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु० 15000 /—
यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो—			
ग—	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु० 15100 /—
घ—	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु० 11400 /—
ड.—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रु० 5400 /—
च—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु० 3600 /—

नोट :

1. यदि अन्तर्गत भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 2 के ग या घ के अनुसार एवं शेष रकबे पर ड. या च के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

2. उपरोक्त सूचीगत ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर निम्न प्रकार होगा :

सड़क के किनारे	रु0 100/- प्रतिवर्ग मीटर
अन्य स्थानों पर	रु0 70/- प्रतिवर्ग मीटर

- ख) 1. आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं विशिष्ट बाजार जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली भूमि का बाजारी मूल्य रु0 प्रतिवर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :

क्र० सं०	परगना	क्षेत्र का नाम	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	शिवपुर	1.हीरामनपुर 2. तिलमापुर 3. रसूलगढ़ 4. ऐंढे 5. सलारपुर 6. हासिमपुर 7. गोइठहां 8. लोढ़ान 9. पिसौर 10. मढ़वा, 11. रूस्तमपुर 12. मुगदरपुर 13. सन्दहॉ 14. रसूलपुर 15. साँई।	4200	2200	2700	1800

- ख) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर निम्न प्रकार होगा—

सड़क के किनारे	रु0 80/- प्रतिवर्ग मीटर
अन्य स्थानों पर	रु0 60/- प्रतिवर्ग मीटर

- ख) 3. उपरोक्त सूची में उल्लिखित ग्रामों में कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क—	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु0 20400/-
ख—	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु0 15000/-
यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो—			
ग—	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु0 15100/-
घ—	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु0 11400/-
ड.—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रु0 5400/-
च—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु0 3600/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 2 के ग या घ के अनुसार एवं शेष रकबे पर ड. या च के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

- ग) 1. विकासशील ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है का मूल्य रूपया प्रतिवर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्षेत्र का नाम	दर			
	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
परगना शिवपुर— 1. रघुनाथपुर, 2. सैदपुर, 3. हसनपुर, 4. बॉसदेवपुर, 5. बनवारीपुर, 6. अकला, 7. पतेरवा, 8. चुप्पेपुर (बक्सड़ा), 9. उदयपुर, 10. कानूडीह, 11. घूरीपुर, 12. फरीदपुर, 13. हरीहरपुर 14. अहमदपुर 15. हरबल्लभपुर, 16. दानियालपुर, 17. सथवां, 18. हृदयपुर, 19. बकसड़ा 20. मझमिटियाँ 21. चन्दापुर, 22. बहलोलपुर	3000 /—	2000 /—	2500 /—	1500 /—

- ग) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्राम में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु किराया रू0 36 /— प्रति वर्गमीटर होगा।

- ग) 3. उपरोक्त विकासशील ग्रामों/बाजारों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा।

क— 0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 19200 /—
ख— 0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 13800 /—
यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो—		
ग— 0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 11400 /—
घ— 0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 9600 /—
ड.— 0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रू0 2600 /—
च— 0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रू0 2400 /—

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ड. या च के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हेक्टेयर तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर क या ख के अनुसार किया जायेगा परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। एवं मूल्यांकन प्रस्तर ग या घ के अनुसार किया जायेगा।

- घ) 1. परगना शिवपुर के अन्तर्गत उक्त उल्लिखित सूची के अतिरिक्त अन्य सभी राजस्व ग्राम/बाजार की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

क्षेत्र का नाम – परगना शिवपुर	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1. इटवां, 2. तारापुर, 3. मिदौरा, 4. फकीरपुर, 5. बड़वापुर, 6. बनियापुर, 7. बलुवा, 8. बालकिशुनपुर, 9. बिपरजेपुर, 10. भगतपुर (सथवां), 11. भैसौड़ी, 12. सरसवां, व अन्य राजस्व ग्राम।	1800 /—	1500 /—	1400 /—	1000 /—

घ) 2. उक्त सूची में उल्लिखितव्यवसायिक भवनों के लिए निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर रू0 30 /— निर्धारित किया जाता है।

घ) 3. कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा :

क—	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 10200 /—
ख—	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 7500 /—
	यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो—		
ग—	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 6000 /—
घ—	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 3700 /—
ड.—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रू0 1500 /—
च—	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रू0 1200 /—

नोट— यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ड. या च के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हेक्टेयर तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर क या ख के अनुसार किया जायेगा परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। एवं मूल्यांकन प्रस्तर ग या घ के अनुसार किया जायेगा।

ड) 1. नगर निगम सीमा से बाहर राजस्व ग्रामों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है की प्रति वर्गमीटर निम्नवत दरें निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	परगना	ग्राम / मुहल्ला	दर	
			पक्की सड़क के किनारे	अन्य स्थान पर

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

			व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	देहात अमानत	1. मडुवाडीह, 2. ककरमत्ता (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 3. चितईपुर, (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 4. लहरतारा (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 5. भिखारीपुर (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 6. फुलवरिया, 7. महेशपुर, 8. चाँदपुर, 9. करौंदी (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर)	5500/-	4000/-	4500/-	2400/-
2.	देहात अमानत	1. अवले ापुर, 2. अमराखैरा चक, 3. आदित्य नगर, 4. के ारीपुर, 5. कंचनपुर, 6. कन्दवा, 7. खु ाीपुर, 8. छित्तपुर (बी.एच.यू.), 9. जलालीपट्टी, 10. डाफी, 11. नासिरपुर, 12. भगवानपुर, 13. मडौली, 14. लोहता, 15. िवदासपुर, 16. सीरगोवर्धनपुर, 17. सुसुवाही, 18. केराकतपुर, 19. भट्टी, 20. चुरामनपुर, 21. भुल्लनपुर, 22. भिटारी।	5000/-	3600/-	4000/-	2200/-

ड) 2. नगर निगम सीमा से बाहर उक्त सूची में उल्लिखित परगनावार राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की दर प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगी :-

क.	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु 32000/-
ख.	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु 19000/-

यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

ग.	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु 15000/-
घ.	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु 11500/-
ड.	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रु 5500/-
च.	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु 4000/-

नोट :- यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 2 के 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ड.' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

ड) 3. उपरोक्त सूचीगत ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा।

सड़क के किनारे	रु 75/- प्रति वर्गमीटर
अन्य स्थान पर	रु 60/- प्रति वर्गमीटर

च) 1 (क) आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं विशिष्ट बाजार जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली भूमि का बाजारी मूल्य रु 0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :-

क्षेत्र का नाम	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
अ. परगना देहात अमानत				
1. ँढें, 2. खनाव, 3. खनावा, 4. गनोपुर, 5. धन्नीपुर, 6. नरोत्तमपुर कलां, 7. नरोत्तमपुर खुर्द,	4800	2500	3000	1800

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

8. नुआवं, 9. नैपुरा कलां, 10. नैपुरा खुर्द, 11. पहाड़ी, 12. पोगलपुर, 13. वि गोखर, 14. भदवर, 15. महमूदपुर, 16. मिसिरपुर, 17. मड़ाव, 18. रामपुर, 19. रमना, 20. लठिया, 21. सगहट, 22. हरपालपुर, 23. पंडितपुर, 24. जफराबाद, 25. नरायनपुर, 26. नरउर।				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

च) 1 (ख). उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा।

सड़क के किनारे

रु0 75/- प्रति वर्गमीटर

अन्य स्थान पर

रु0 60/- प्रति वर्गमीटर

च) 1 (ग). उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क. 0.060 हेक्टेयर तक पक्की सड़क के किनारे रु0 20000/-

ख. 0.060 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रु0 15000/-

यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

ग. 0.080 हेक्टेयर तक पक्की सड़क के किनारे रु0 15000/-

घ. 0.080 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रु0 11000/-

ड. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर पक्की सड़क के किनारे रु0 5500/-

च. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर अन्य स्थान पर रु0 4000/-

नोट : यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबों पर 'ड.' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन कर आगणित किया जायेगा।

छ) 1. विकासशील ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है का मूल्य रुपया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्षेत्र का नाम – परगना देहात अमानत	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1. कादीपुर, 2. करसड़ा, 3. कुरहुआ, 4. गोविन्दपुर, 5. गजाधरपुर, 6. चन्दापुर, 7. छितौनी, 8. जगमा, 9. टिकरी, 10. डफ़लपुर, 11. तारापुर, 12. नाथूपुर, 13. बालीपुर, 14.	3000/-	2000/-	2100/-	1400/-

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

बड़ागांव अब्बल, 15. माधोपुर, 16. मीरापुर, 17. मूड़ादेव, 18. लखनपुर, 19. सदलपुर, 20. सराय डगरी, 21. हासापुर, 22. भुवालपुर, 23. हरिहरपुर, 24. नीबिया, 25. विशुनपुर, 26. देल्हना, 27. नकाइन, 28. फरीदपुर।				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

छ) 2. उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु किराया रु0 35/- प्रति वर्गमीटर होगा।

छ) 3. उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे परगनावार वर्णित की गयी है की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा।

क. 0.060 हेक्टेयर तक पक्की सड़क के किनारे रु0 19000/-

ख. 0.060 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रु0 14000/-

यदि अन्तरिम भूमि 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

ग. 0.080 हेक्टेयर तक पक्की सड़क के किनारे रु0 11500/-

घ. 0.080 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रु0 9500/-

ड. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर पक्की सड़क के किनारे रु0 3000/-

च. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर अन्य स्थान पर रु0 2600/-

नोट :- यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं भोश रकबें पर 'ड.' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन कर आगणिक किया जायेगा। यह कि 0.06 हेक्टेयर तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

ज (1) परगना देहात अमानत के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी राजस्व ग्रामों की भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्षेत्र का नाम - परगना देहात अमानत	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक क	आवासीय	व्यवसायिक क	आवासीय
उपरोक्त सूचीगत ग्रामों/बाजारों के अतिरिक्त अन्य राजस्व ग्राम	1500/-	1000/-	1300/-	750/-

ज (2) व्यवसायिक भवनों के लिए निर्धारित किराया रु0 35/- प्रति वर्गमीटर

ज (3) कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा :

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 10000/-
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 7500/-
यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :			
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 6000/-
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 4000/-
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 2000/-
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 1500/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़-मिलान हो या क्रेता सहखातेदार हो तो 0.06 हे0 (60 एअर) से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उसपर 0.06 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

झ) 2 (क) आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं विशिष्ट बाजार जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली भूमि का बाजारी मूल्य रु0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :-

क्षेत्र का नाम	दर			
	पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
ब्लॉक चिरईगाँव	4500/-	2800/-	2600/-	2000/-
अ) परगना कटेहर : 1. उकथी, 2. अईली, 3. सरैया नं0 1 व 2, 4. डुबकियाँ, 5. अल्लोपुर, 6. गोपपुर, 7. छांही/व्यासपुर छांही, 8. चुकहां/व्यासपुर चुकहां, 9. व्यासपुर, 10. दानियालपुर, 11. पनिहरी, 12. भगवानपुर				

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

कलां, 13. इमिलिया, 14. कटेसर कलां। ब) परगना जाल्हूपुर : 1. उमरहां, 2. कमौली, 3. कोटवां, 4. गौराकलां, 5. चिरईगाँव, 6. जाल्हूपुर, 7. नरपतपुर, 8. नरायनपुर, 9. बरियासनपुर, 10. बराई, 11. बभनपुरा, 12. भगतुआ, 13. रेरुआ उर्फ चिरईगाँव, 14. शंकरपुर।				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2. ख) उपरोक्त राजस्व ग्रामों में मासिक किरायें की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

सड़क पर	70/- प्रति वर्गमीटर
अन्य स्थान पर	55/- प्रति वर्गमीटर

2. ग) उपरोक्त सूची के ग्रामों/बाजारों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा:

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 19000/-
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 15000/-
यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :			
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 15000/-
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 12000/-
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 6000/-
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 4500/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

ज) 1. विकासशील ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे दी गयी है का मूल्य रु0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार किया जाता है :

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	दर			
		पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	ब्लॉक चिरईगाँव अ) परगना कटेहर : 1. अमरपट्टी, 2. अवधीपुर, 3. कटेसर कलां, 4. कटसेर	3000/-	2500/-	2200/-	1700/-
			-		-

<p>खुर्द, 5. कादीपुर खुर्द, 6. कोदोपुर कलां, 7. कोदोपुर खुर्द, 8. खरगीपुर, 9. खुटहना, 10. गौरडीह, 11. चक बासदेवपुर, 12. जयरामपुर, 13. झांझपुर, 14. धनंजयपुर, 15. परानापुर, 16. परबतपुर, 17. बनकट, 18. बर्थरा कलां, 19. बीकापुर, 20. सोनबरसा, 21. शाहपुर, 22. हुसेपुर</p> <p>ब) परगना जाल्हूपुर :</p> <p>1. खालिसपुर, 2. खानपुर 3. चौका, 4. फूलपुर, 5. खानपुर, 5. दीनापुर</p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- ज) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु किराया 35/- प्रति वर्गमीटर
- ज) 3. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों/बाजारों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 18000/-
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 12500/-
	यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :		
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 10000/-
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 9500/-
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 3000/-
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 2600/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़-मिलान हो या क्रेता सहखातेदार हो तो 0.06 हे0 (60 एअर) से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उसपर 0.06 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

- ट) 1. विकासशील ग्रामों/बाजारो जिनकी सूची नीचे दी गयी है का मूल्य रु0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार किया जाता है :

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	दर			
		पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
		क	य	क	य

2.	ब्लॉक चिरईगाँव	1800 /—	1300 /—	1400 /—	900 /—
	अ) परगना कटेहर		—		
	1. अमिलिया, 2. कुडांव, 3. खेतलपुर, 4. गिरधरपुर, 5. गोकुलपुर, 6. जिगना, 7. तरयां, 8. दामोदरपुर, 9. पहड़िया, 10. पूरनपट्टी, पियरी, 11. भुईली, 12. मुढ़ली, 13. रामपुर, 14. रमगढ़वां, 15. सरैया जयरामपुर				
	ब) परगना जाल्हूपुर :				
	1. आराजी नेवादा, 2. कोची, 3. गौरा खुर्द, 4. गौरा नेवादा, 5. चांदपुर, 6. तांतेपुर, 7. तोहफापुर, 8. नेवादा, 9. पचरांव, 10. प्रहलादपुर, 11. विशुनपुरा, 12. मढ़नी, 13. मिल्कोपुर, 14. मिश्रपुरा (मिसिरपुरा) 15. रमना, 16. रामपुर, 17. राजापुर, 18. रैपुरा, 19. सराय मोहाना, 20. सुल्तानपुर, 21. शिवरामपुर, 22. सीवों, 23. सिंहवार, 24. सरैया				

- ट) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व के ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु किराया 30 /— प्रति वर्गमीटर
- ट) 3. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों/बाजारों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 9500 /—
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 7000 /—
	यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :		
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 6000 /—
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 4000 /—
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 2000 /—
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 1800 /—

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़-मिलान हो या क्रेता सहखातेदार हो तो 0.06 हे0 (60 एअर) से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उसपर 0.06 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

- ठ) 1 (क). परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों विशिष्ट बाजारों की व्यवसायिक/आवासीय दरे प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्र म सं ०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे		जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़को के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	5000 / —	3800 /—	4700 / —	2600 /—	2500 / —	1600 /—
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	3900 / —	2700 /—	3800 / —	2200 /—	1800 / —	1500 /—
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	3400 / —	2200 /—	2700 / —	1800 /—	1500 / —	1300 /—
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली बाबातपुर, 6. कुरौली शिवरामपुर, 7. कादीपुर, 8. कोहांसी, 9. कौवापुर, 10. गहनी, 11. गोसाईपुर (आयर), 12. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 13. चौबेपुर खुर्द, 14. चौबेपुर, 15. चुमकुनी, 16. छितमपुर, 17. टेकारी, 18. टेकुरी, 19. टेकीपुर, 20. डगरूपुर, 21. डिहवां, 22. पाण्डेयपुर, 23. बेनीपुर, 24. बर्थरा खुर्द, 25. बहरामपुर, 26. बीरनाथीपुर, 27. भभियार, 28. रसूलपुर, 29. मुरली (मुंडेली), 30. रैपुरा, 31. रौनाकलां, 32. रौनाखुर्द, 33. लटौनी, 34. शिवरामपुर, 35. सरैया, 36. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	3100 / —	2200 /—	2500 / —	1500 /—	1400 / —	1100 /—

उपरोक्त सभी ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :

पक्की सड़क के किनारे प्रति वर्गमीटर रू0 60 /—

अन्य स्थान पर प्रति वर्गमीटर रू0 40 /—

ठ) 1 (ख). परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों की 0.060 हे० (60 एअर) तक कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे० रू० में :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	33000 / -	23500 / -	13000 / -
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	23500 / -	18000 / -	11000 / -
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	19500 / -	16000 / -	10000 / -
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली बाबातपुर, 6. कुरौली शिवरामपुर, 7. कादीपुर, 8. कोहांसी, 9. कौवापुर, 10. गहनी, 11. गोसाईपुर (आयर), 12. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 13. चौबेपुर खुर्द, 14. चौबेपुर, 15. चुमकुनी, 16. छितमपुर, 17. टेकारी, 18. टेकुरी, 19. टेकीपुर, 20. डगरूपुर, 21. डिहवां, 22. पाण्डेयपुर, 23. बेनीपुर, 24. बर्थरा खुर्द, 25. बहरामपुर, 26. बीरनाथीपुर, 27. भभियार, 28. रसूलपुर, 29. मुरली (मुंडेली), 30. रैपुरा, 31. रौनाकलां, 32. रौनाखुर्द, 33. लटौनी, 34. शिवरामपुर, 35. सरैया, 36. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	19000 / -	13500 / -	9500 / -

नोट : यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेढ़-मिलान हो या क्रेता सह-खातेदार हो तो 0.060 हे० (60 एअर) से कम भूमि होने पर भी 0.060 हे० (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा मूल्यांकन तालिका ठ 1(ग) के अनुसार किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

ठ) 1 (ग). 4. 0.060 हे० (60 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे० (1 एअर) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	12000 / -	10500 / -	3500 / -
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	9500 / -	6500 / -	3500 / -
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	6000 / -	4500 / -	3000 / -
4.	11. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली बाबातपुर, 6. कुरौली शिवरामपुर, 7. कादीपुर, 8. कोहांसी, 9. कौवापुर, 10. गहनी, 11. गोसाईपुर (आयर), 12. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 13. चौबेपुर खुर्द, 14. चौबेपुर, 15. चुमकुनी, 16. छितमपुर, 17. टेकारी, 18. टेकुरी, 19. टेकीपुर, 20. डगरूपुर, 21. डिहवां, 22. पाण्डेयपुर, 23. बेनीपुर, 24. बर्थरा खुर्द, 25. बहरामपुर, 26. बीरनाथीपुर, 27. भभियार, 28. रसूलपुर, 29. मुरली (मुंडेली), 30. रैपुरा, 31. रौनाकलां, 32. रौनाखुर्द, 33. लटौनी, 34. शिवरामपुर, 35. सरैया, 36. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	6000 / -	2800 / -	2000 / -

ट) 1 (घ). 0.10 हे० (100 एअर) के उपर किसी भी सीमा तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे० (1 एअर) रू० में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	11000/-	6000/-	2500/-
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	9000/-	6000/-	2000/-
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	7000/-	4500/-	1800/-
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली बाबातपुर, 6. कुरौली शिवरामपुर, 7. कादीपुर, 8. कोहांसी, 9. कौवापुर, 10. गहनी, 11. गोसाईपुर (आयर), 12. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 13. चौबेपुर खुर्द, 14. चौबेपुर, 15. चुमकुनी, 16. छितमपुर, 17. टेकारी, 18. टेकुरी, 19. टेकीपुर, 20. डगरूपुर, 21. डिहवां, 22. पाण्डेयपुर, 23. बेनीपुर, 24. बर्थरा खुर्द, 25. बहरामपुर, 26. बीरनाथीपुर, 27. भभियार, 28. रसूलपुर, 29. मुरली (मुंडेली), 30. रैपुरा, 31. रौनाकलां, 32. रौनाखुर्द, 33. लटौनी, 34. शिवरामपुर, 35. सरैया, 36. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	5400/-	2500/-	1600/-

ड) 1. परगना अठगांवा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/विशिष्ट बाजारों की व्यवसायिक/आवासीय दरें प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे		जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव	5500/-	4000/-	5500/-	3000/-	2800/-	1700/-
अन्य सभी राजस्व ग्रामों में	3500/-	2600/-	2800/-	1500/-	1300/-	900/-

ड) 2. उपरोक्त राजस्व ग्रामों में अंतरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न होगी :

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

पक्की सड़क के किनारे	65/- प्रति वर्गमीटर
अन्य स्थान पर	50/- प्रति वर्गमीटर

ड) 3. परगना अठगावां के अन्दर आने वाली परिसम्पत्तियों की 0.060 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर रूप्यें में :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहां, 2. धरमलपुर,	37000/-	28000/-	15000/-

ड) 4. 0.060 हेक्टेयर से 0.10 हेक्टेयर तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार है :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहां, 2. धरमलपुर,	12500/-	9500/-	3300/-

ड) 5. 0.10 हेक्टेयर के उपर किसी भी सीमा तक अंतरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर रू0 में निम्न प्रकार है :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहां, 2. धरमलपुर,	12500/-	6000/-	1600/-

उपरोक्त ग्रामों में स्थित आवासीय भवनों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है :

- अ) पक्का भवन 4200/- प्रति वर्गमीटर
 ब) कच्चा भवन 2500/- प्रति वर्गमीटर।

5. ग्रामीण क्षेत्र :

1. क) परगना सुल्तानीपुर के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवसायिक/आवासीय दरें प्रति वर्गमीटर रूपये में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे		जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के		अन्य स्थान पर	
	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव	5500/-	4000/-	5500/-	3000/-	2800/-	1700/-

अन्य सभी राजस्व ग्राम	3500/-	2600/-	2800/-	1500/-	1300/-	900/-
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

1. ख) उपरोक्त सभी ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :-

पक्की सड़क के किनारें प्रति वर्गमीटर ₹0 55/-

अन्य स्थान पर प्रति वर्गमीटर ₹0 27/-

1. ग) परगना सुल्तानीपुर के अन्तर्गत अन्तरित होने वाली परिसम्पत्तियों की कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 से 0.060 हेक्टेयर तक रुपये में :

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशि ट बाजार का नाम	रा ट्रीय/प्रा-तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव	40000/-	30000/-	16000/ -
2.	अन्य सभी ग्रामों में	22000/-	15500/-	9500/-

नोट : यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा मूल्यांकन तालिका 1 घ) के अनुसार किया जायेगा।

1. घ) 0.060 हेक्टेयर से 0.10 हेक्टेयर तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशि ट बाजार का नाम	रा ट्रीय/प्रा-तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव	13000/-	12000/-	3200/ -

2.	अन्य सभी राजस्व ग्रामों में	6000 / -	4000 / -	1700 / -
----	-----------------------------	----------	----------	----------

1. ड) 0.10 हेक्टेयर के ऊपर किसी भी सीमा तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर रुपये में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव	12000 / -	6000 / -	1800 / -
2.	अन्य सभी राजस्व ग्रामों में	5500 / -	2700 / -	1200 / -

2. क) परगना कटेहर (ब्लॉक चिरईगाँव), परगना जाल्हूपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्न राजस्व ग्रामों की भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	दर			
		पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	अ) परगना कटेहर : 1. पंडितपुर, 2. मुराईपुर उर्फ मुरीदपुर, 3. रामपुर उकथी ब) परगना जाल्हूपुर : 1. अमौली, 2. छितौना, 3. रैमला, 4. शिवदशा, 5. सिरिस्ती	3000 / -	1800 / -	2000 / -	1600 / -

2. ख) उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्राम/बाजार में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु किराया 35/- प्रति वर्गमीटर

2. ग) उपरोक्त सूची सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों/बाजार की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 17500 / -
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 14000 / -
यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :			
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 15000 / -
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 10000 / -
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 4000 / -
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 3000 / -

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़-मिलान हो या क्रेता सहखातेदार हो तो 0.06 हे0 (60 एअर) से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उसपर 0.06 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

3. क) परगना कटेहर (ब्लॉक चिरईगाँव), परगना जाल्हूपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्न राजस्व ग्रामों की भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	छर			
		पक्की सड़क के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
2.	(ब्लॉक चिरईगाँव) :- अ) परगना कटेहर : बर्थरा गंगबरार ब) परगना जाल्हूपुर : 1. अम्बा, 2. कुकुड़ा, 3. गोबरहां, 4. चक नेवादा, 5. चुहलपुर, 6. छितौनी, 7. देवरिया, 8. धराधर, 9. धोबही, 10. मोकलपुर, 11. मुस्तफाबाद, 12. रामचन्दीपुर, 13. लूठांकलां, 14. लूठाखुर्द, 15. शिवदशा गंगबरार, 16. शिवदशा उपरवार, 17. सरसौल, 18. बकैनी व अन्य राजस्व ग्राम	1500 / -	1100 / -	1200 / -	1000 / -

3. ख) उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु किराया 25 / - प्रति वर्गमीटर होगा।

3. ग) उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्राम/बाजारों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

क)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 10000 / -
ख)	0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 7000 / -
	यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :		
ग)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 8000 / -
घ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रु0 5000 / -
ङ)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 2000 / -
च)	0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर	अन्य स्थान पर	रु0 1500 / -

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़-मिलान हो या क्रेता सहखातेदार हो तो 0.06 हे0 (60 एअर) से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उसपर 0.06 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार किया जायेगा।

4. क) परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवसायिक/आवासीय दरें प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्र म सं ०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे		जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़को के किनारे		अन्य स्थान पर	
		व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	5000 / —	3500 / —	4800 / —	2600 / —	2300 / —	1800 / —
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4.. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	4000 / —	2800 / —	3800 / —	2000 / —	1800 / —	1500 / —
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	3500 / —	2100 / —	2800 / —	1800 / —	1500 / —	1200 / —
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4 खरदहां, 5. खनुआन, 6. गड़सरा, 7. गोसाईपुर पठखौली, 8. गौरा गंगबरार, 9. गौरा उपरवार, 10 चक डंगरहा, 11. चाहिन, 12. चकलोवा बेग, 13. जगदीशपुर, 14. टिसौरा, 15 डुडुआ, 16. ढाखा, 17 ताला, 18. ताड़ी, 19 तिलमापुर, 20. देवरिया, 21. देवनाथपुर, 22. दुमितवां, 23. धरमपुर, 24. नखवां, 25. नथनपुर, 26. नवलशाह कोट, 27. नीमा, 28. नथनपुर, 29. परानापट्टी, 30. पिपरी, 31. पलकहां, 32. परसहा, 33. पठखौली, 34. परागडीह, 35. पौहा, 36. पूरेधूरशाह, 37. बरसड़ा, 38. बरथौली, 39. बाबतपुर, 40. बेनीपुर खुर्द, 41. बेनीपुर कलां, 42. बबियांव, 43. भगवतीपुर, 44. भरतपुर, 45. भटपुरवां कलां, 46. भन्दहां खुर्द, 47. भगवानपुर खुर्द, 48. मवईया, 49. महदां, 50. महेशपुर, 51. मोलनापुर, 52. मुंडेरी (मुरेरी), 53. मंगोलेपुर, 54. रजला, 55. रमदत्तहां, 56. रामपुर, 57. लशकरपुर, 58. लक्ष्मीसेनपुर, 59. लालमन	2400 / —	2000 / —	2500 / —	1500 / —	1400 / —	1000 / —

कोट, 60. लोहगाजर, 61. शिवदासपुर, 62. सरैया ता0 आयर, 63. सहडीह, 64. सिंहपुर, 65. सुलेमापुर, 66. सुंगुलपुर, 67. श्रीकंठपुर, 68. हथियर कलां, 69. हथियर खुर्द, 70. हाजीपुर, 71. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम						
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

4. ख) उपरोक्त सभी राजस्व ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :

पक्की सड़क के किनारे 60/-

अन्य स्थान पर 40/-

4. ग) परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों की 0.060 हे0 (60 एअर) तक कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे0 रू0 में :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	33000/-	23500/-	14000/-
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	23500/-	18000/-	12000/-
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	19500/-	16000/-	10000/-
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4 खरदहां, 5. खनुआन, 6. गड़सरा, 7. गोसाईपुर पठखौली, 8. गौरा गंगबरार, 9. गौरा उपरवार, 10 चक डंगरहा, 11. चाहिन, 12. चकलोवा बेग, 13. जगदीशपुर, 14. टिसौरा, 15 डुडुआ, 16. ढाखा, 17 ताला, 18. ताड़ी, 19 तिलमापुर, 20. देवरिया, 21. देवनाथपुर, 22. दुमितवां, 23. धरमपुर, 24. नखवां, 25. नथनपुर, 26. नवलशाह कोट, 27. नीमा, 28. नथनपुर, 29. परानापट्टी, 30. पिपरी, 31. पलकहां, 32. परसहा, 33. पठखौली, 34. परागडीह, 35. पौहा, 36. पूरेधूरशाह, 37. बरसड़ा,	19000/-	13500/-	9000/-

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

38. बरथौली, 39. बाबतपुर, 40. बेनीपुर खुर्द, 41. बेनीपुर कलां, 42. बबियांवा, 43. भगवतीपुर, 44. भरतपुर, 45. भटपुरवां कलां, 46. भन्दहां खुर्द, 47. भगवानपुर खुर्द, 48. मवईया, 49. महदां, 50. महेशपुर, 51. मोलनापुर, 52. मुंडेरी (मुरेरी), 53. मंगोलेपुर, 54. रजला, 55. रमदत्तहां, 56. रामपुर, 57. लश्करपुर, 58. लक्ष्मीसेनपुर, 59. लालमन कोट, 60. लोहगाजर, 61. शिवदासपुर, 62. सरैया ता0 आयर, 63. सहडीह, 64. सिंहपुर, 65. सुलेमापुर, 66. सुंगुलपुर, 67. श्रीकंटपुर, 68. हथियर कलां, 69. हथियर खुर्द, 70. हाजीपुर, 71. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

नोट : यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेढ़-मिलान हो या क्रेता सह-खातेदार हो तो 0.060 हे0 (60 एअर) से कम भूमि होने पर भी 0.060 हे0 (60 एअर) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा मूल्यांकन क्रमांक 4 घ) के अनुसार किया जायेगा।

4. घ) 0.060 हे0 (60 एअर) से 0.10 हे0 (100 एअर) तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं0	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	12000/-	10500/-	3500/-
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4.. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	9500/-	6500/-	3400/-
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6, उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	6500/-	4500/-	3000/-
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4 खरदहां, 5. खनुआन, 6. गड़सरा, 7. गोसाईपुर पठखौली, 8. गौरा गंगबरार, 9. गौरा उपरवार, 10 चक डंगरहा, 11. चाहिन, 12. चकलोवा बेग, 13.	6000/-	2500/-	1500/-

जगदीशपुर, 14. टिसौरा, 15 डुडुआ, 16. ढाखा, 17 ताला, 18. ताड़ी, 19 तिलमापुर, 20. देवरिया, 21. देवनाथपुर, 22. दुमितवां, 23. धरमपुर, 24. नखवां, 25. नथनपुर, 26. नवलशाह कोट, 27. नीमा, 28. नथनपुर, 29. परानापट्टी, 30. पिपरी, 31. पलकहां, 32. परसहा, 33. पठखौली, 34. परागडीह, 35. पौहा, 36. पूरेधूरशाह, 37. बरसड़ा, 38. बरथौली, 39. बाबतपुर, 40. बेनीपुर खुर्द, 41. बेनीपुर कलां, 42. बबियांवां, 43. भगवतीपुर, 44. भरतपुर, 45. भटपुरवां कलां, 46. भन्दहां खुर्द, 47. भगवानपुर खुर्द, 48. मवईया, 49. महदां, 50. महेशपुर, 51. मोलनापुर, 52. मुंडेरी (मुरेरी), 53. मंगोलेपुर, 54. रजला, 55. रमदत्तहां, 56. रामपुर, 57. लशकरपुर, 58. लक्ष्मीसेनपुर, 59. लालमन कोट, 60. लोहगाजर, 61. शिवदासपुर, 62. सरैया ता0 आयर, 63. सहडीह, 64. सिंहपुर, 65. सुलेमापुर, 66. सुंगुलपुर, 67. श्रीकंठपुर, 68. हथियर कलां, 69. हथियर खुर्द, 70. हाजीपुर, 71. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

4. ड) 0.10 हे0 (100 एअर) के उपर किसी भी सीमा तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) रू0 में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं0	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य राजमार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	11000/-	6000/-	2000/ -
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4.. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	9000/-	5400/-	1600/ -

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
वाराणसी

कलेक्टर
वाराणसी

3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	7000 /—	5000 /—	1500 /— —
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4 खरदहां, 5. खनुआन, 6. गड़सरा, 7. गोसाईपुर पठखौली, 8. गौरा गंगबरार, 9. गौरा उपरवार, 10 चक डंगरहा, 11. चाहिन, 12. चकलोवा बेग, 13. जगदीशपुर, 14. टिसौरा, 15 डुडुआ, 16. ढाखा, 17 ताला, 18. ताड़ी, 19 तिलमापुर, 20. देवरिया, 21. देवनाथपुर, 22. दुमितवां, 23. धरमपुर, 24. नखवां, 25. नथनपुर, 26. नवलशाह कोट, 27. नीमा, 28. नथनपुर, 29. परानापट्टी, 30. पिपरी, 31. पलकहां, 32. परसहा, 33. पठखौली, 34. परागडीह, 35. पौहा, 36. पूरेधूरशाह, 37. बरसड़ा, 38. बरथौली, 39. बाबतपुर, 40. बेनीपुर खुर्द, 41. बेनीपुर कलां, 42. बबियांव, 43. भगवतीपुर, 44. भरतपुर, 45. भटपुरवां कलां, 46. भन्दहां खुर्द, 47. भगवानपुर खुर्द, 48. मवईया, 49. महदां, 50. महेशपुर, 51. मोलनापुर, 52. मुंडेरी (मुरेरी), 53. मंगोलेपुर, 54. रजला, 55. रमदत्तहां, 56. रामपुर, 57. लशकरपुर, 58. लक्ष्मीसेनपुर, 59. लालमन कोट, 60. लोहगाजर, 61. शिवदासपुर, 62. सरैया ता0 आयर, 63. सहडीह, 64. सिंहपुर, 65. सुलेमापुर, 66. सुंगुलपुर, 67. श्रीकंठपुर, 68. हथियर कलां, 69. हथियर खुर्द, 70. हाजीपुर, 71. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम	5500 /—	3000 /—	1400 /— —

6. निर्माण की दरें :

क) नगरीय क्षेत्र/अर्द्धनगरीय क्षेत्र में आवासीय निर्माण की दरें निम्न प्रकार होंगी :

अ) तीन मंजिले तक भवन के लिए रू0 6000 /— प्रति वर्गमीटर

चार मंजिले तक भवन के लिए रू0 6500/- प्रति वर्गमीटर

पाँच मंजिल तक भवन के लिए रू0 7000/- प्रति वर्गमीटर

- ब) बहुखण्डी इमारत (फ्रेम्ड स्ट्रक्चर) के लिए रू0 9000/- प्रति वर्गमीटर
 स) अस्थायी गैर व्यवसायिक एसबेस्टस टीन शेड रू0 3600/- प्रति वर्गमीटर

ख) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय निर्माण की दरें निम्न प्रकार होंगी :

- अ) पक्का भवन रू0 4200 प्रति वर्गमीटर
 ब) कच्चा भवन रू0 2500 प्रति वर्गमीटर

ग) कुआँ की दरें निम्न प्रकार होंगी :

- अ) पक्का कुआँ ट्यूबवेल रू0 40000/-
 ब) पक्का कुआँ रू0 35000/-
 स) कच्चा कुआँ रू0 25000/-

7. वृक्षों की दरें निम्न प्रकार होंगी :

- इमारती वृक्ष 10 वर्ष तक रू0 2500/- प्रति वृक्ष
 10 से उपर रू0 12000/- प्रति वृक्ष
 फलदार वृक्ष 10 वर्ष तक रू0 3500/- प्रति वृक्ष
 10 वर्ष से उपर रू0 8500/- प्रति वृक्ष
 अन्य वृक्ष 10 वर्ष तक रू0 2000/- प्रति वृक्ष
 अन्य वृक्ष 10 वर्ष के उपर रू0 3000/- प्रति वृक्ष
 बाँस रू0 60/- प्रति बाँस

8. शिक्षण, धार्मिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं की दरें निम्न प्रकार होंगी :

- क) यदि किसी शिक्षण अथवा धार्मिक संस्था के पक्ष में कृषि भूमि का अन्तरण होता तो सम्बन्धित स्थानों हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आगणित कुल मूल्यांकन से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देय होगा।
 ख) यदि किसी व्यवसायिक संस्था अथवा औद्योगिक इकाई के पक्ष में कृषि भूमि का अन्तरण होगा तो सम्बन्धित स्थानों हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आगणित कुल मूल्यांकन से दोगुने पर मूल्यांकन किया जायेगा।

9. ईट-भट्ठा हेतु मिट्टी के मूल्य की प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) हेतु निर्धारित दर निम्न होगी :

1. नगरीय क्षेत्र में 300/-
2. अर्धनगरीय क्षेत्र में 275/-
3. ग्रामीण क्षेत्र में 250/-

10. औद्योगिक दरें निम्न प्रकार होंगी :

नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का मूल्यांकन उस क्षेत्र की निर्धारित आवासीय दर के 60 प्रतिशत पर भूखण्ड का मूल्यांकन व निर्माण का मूल्यांकन निर्धारित आवासीय दर से किया जायेगा। औद्योगिक संस्थान में स्थापित इकाई से तात्पर्य 1500 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर स्थापित औद्योगिक इकाई एवं अन्य उत्पादक इकाइयों से है। जैसे :- राईस मिल, आटा मिल, कोल्ड स्टोर, ईट भट्ठा एवं अन्य उत्पादक इकाईया आदि।

: सामान्य नियम :

1. सहकारी आवास समिति, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं बिल्डरो द्वारा निर्मित कॉलोनियों की भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर से किया जायेगा।
2. प्लैट/अपार्टमेन्ट मूल्यांकन हेतु कॉमन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये कुल मूल्यांकन के 10 प्रतिशत अधिक पर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. किसी भी मार्ग/गली पर स्थित कॉर्नर अथवा दो तरफ स्थित मार्ग/गली के आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक भूखण्डो/भवनों का मूल्यांकन यथास्थिति प्रभावी दरों में 10 प्रतिशत तथा पार्क फेसिंग 5 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा।

4. ऐसे भवन को आंशिक आवासीय/आंशिक व्यवसायिक हो तो उनमें आवासीय निर्माण का विक्रय होने की दशा में भूमि का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दरों से तथा व्यवसायिक निर्माण का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची की निर्धारित व्यवसायिक, व्यवसायिक कि किराये की दरों से किया जायेगा।
5. ऐसी स्थिति में जहा पर व्यवसायिक निर्माण एवं उससे संलग्न भूमि का अंतरण किया जाता है तो व्यवसायिक निर्माण का मूल्यांकन निर्धारित मासिक किराये के आधार पर एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन निर्धारित व्यवसायिक दर से किया जायेगा।
6. पक्की सड़क से तात्पर्य डामर युक्त (ब्लैक टॉप) एवं सीमेन्ट निर्मित मार्ग/रास्ते से है।
7. फ्लैट/अपार्टमेन्ट में भूतल पर स्थित फ्लैटों का मूल्यांकन 10 प्रतिशत वृद्धि आगणित करते हुए किया जायेगा। बहुखण्डीय मकानों में बेसमेन्ट यदि व्यवसायिक है तो व्यवसायिक दर से एवं आवासीय है तो आवासीय मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. लेखपत्र में साक्षीगण का हस्ताक्षर वर्णन सहित लिखा जायेगा, एवं क्रेता का भी पूर्ण वर्तमान पता लिखना आवश्यक है।
9. व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों का मूल्यांकन, सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
10. पंजीकृत होने वाले लेखपत्रों की स्पष्ट एवं सुपाठ्य ए-4 साईज के इलेक्ट्रोस्टेट प्रति निबन्धन कार्यालय में मिलान के उपरान्त प्रस्तुत की जायेगी।
11. लेखपत्रों में कृषि भूमि हेक्टेयर में तथा आवासीय/व्यवसायिक भूमि वर्गमीटर में लिखना अनिवार्य है।
12. कृषि भूमि के विक्रय पर 200 मीटर त्रिज्या तक की चौहद्दी एवं आवासीय/व्यवसायिक भवनों के अन्तरण पर 50 मीटर तक की चौहद्दी का विवरण लिया जाना आवश्यक होगा।
13. प्रत्येक लेखपत्र में क्रय करने का प्रयोजन (कृषि/आवासीय/औद्योगिक/व्यवसायिक) लिखना अनिवार्य है।
14. प्रत्येक लेखपत्र में मसविदाकर्ता/वसीका नवीस/टाईपकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर पता सहित लिखना आवश्यक है।
15. औद्योगिक विकास निगम/औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उद्योग विभाग के क्षेत्रों में स्थिति परिसम्पत्तियों में गड़ी हुई मशीनरी के अंतरण के समय जिला उद्योग केन्द्र/वैल्युअर आख्या द्वारा आंके गये मूल्य के आधार पर स्टॉम्प शुल्क दे होगा।
16. कृषि भूमि यदि किसी आबादी/मकान से सटी स्थित हो तो सामान्य कृषि दर से ग्रामीण क्षेत्र में 20 प्रतिशत अधिक अर्द्धनगरीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत अधिक तथा नगरीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जायेगा।
17. प्लॉट के विक्रय विलेखों में स्पष्ट रूप से "प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं है" का उल्लेख किया जायेगा।
18. स्थापित शैक्षणिक संस्था के प्रकरण में भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र की आवासीय भूमि दर पर तथा भवन का मूल्यांकन आवासीय आवासीय दर से किया जायेगा।
19. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ढाबे की भूमि का मूल्यांकन सम्बन्धित ग्राम हेतु निर्धारित आवासीय दर से आधे पर किया जायेगा तथा इसके निर्माण का मूल्यांकन आवासीय दर पर किया जायेगा।
20. यदि किसी स्थान की भू-दर सुनिश्चित नहीं है तो उस स्थान के समीपवर्ती स्थानों में से जिसकी दर उच्चतम होगी अनुमन्य होगी। यदि किसी स्थान की दो दरें सूचीबद्ध हो गयी हो तो तब अधिकतम दर अनुमन्य होगी।

21. दस्तावेज में विक्रेता का पूर्ण पोस्टल पता एवं नागरिकता का उल्लेख आवश्यक होगा।
22. जो कृषि भूमि एक से अधिक मार्गों पर स्थित होगी उसके मूल्यांकन हेतु जिस मार्ग पर दर उच्चतम होगी वहीं सम्पूर्ण भूमि हेतु लागू होगी।
23. आवासीय निर्माण पर नियमानुसार मूल्य ह्रास देय होगा। यदि किसी आवासीय मकान में बुनकरी का कार्य (हथकरघा) कार्य किया जाता है तो उसकी आवासीय दरें सामान्य आवासीय दर से 20 प्रतिशत अधिक आकलित किया जायेगा तथा आच्छादित आवासीय क्षेत्र पर कोई मूल्य ह्रास देय नहीं होगा।
24. यदि कोई आवासीय मकान व्यवसायिक भूखण्ड/क्षेत्र से संलग्न है तो उसका मूल्यांकन आवासीय दर से 10 प्रतिशत अधिक होगा।
25. व्यवसायिक भूखण्डों का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में अंकित उच्चतम निर्धारित दर सं एवं व्यवसायिक निर्माण का मूल्यांकन इस सूची में अंकित मासिक किराये में 300 का गुणा करते हुये सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आगणित किया जायेगा।
26. पक्की सड़क के किनारे निर्धारित व्यवसायिक दरें सड़क के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ 25 मीटर गहराई तक लागू होंगी।